

(5)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 35/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

मोहन लाल पुत्र रामलाल बलाई बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं
निवासी बाजून्दा तहसील बदनोर तहसीलदार बदनोर, भीलवाडा
जिला भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 14-08-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर के विरुद्ध दिनांक 29.07.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 47 एफ 046093 राशि 10.00 रू० के साथ एक आवेदन दिनांक 19.03.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर द्वारा पत्रांक/आरटीआई/2020/85 दिनांक 07.08.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक/2-3 दिनांक 11.06.2020 से अपीलार्थी के आवेदन में चाही गयी सूचना उपखण्ड अधिकारी बदनोर के क्षेत्राधिकारी में होने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बदनोर को स्थानान्तरित किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर के क्रमांक/आरटीआई/2020/2417 दिनांक 17.06.2020 से अपीलार्थी मोहन पिता रामलाल बलाई निवासी बाजून्दा को अपीलार्थी द्वारा चाहे गये प्रमाण पत्रों के जारी होने का महीना, वर्ष तथा सूचना चाहने के कारण से अवगत कराये जाने बाबत पत्र प्रेषित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी को प्रमाण पत्रों के जारी होने का महीना, वर्ष तथा सूचना चाहने के कारण से अवगत नहीं कराये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 14-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
भीलवाडा